

Check list for site inspection by the DFO/CF/CCF :

"Inspection Report by DFO- Mandasaur (M.P.)"
FP/MP/ROAD/142860/2021

No.	Particular	Inspection Report By CCF/DFO (T)			
		Comp. No.	Point No.	Latitude	Longitude
1.	Extent in hectares.	0.72 हेक्टेयर			
2.	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	R-31,32,33	1 2 3 4	24°32'51.84"N 24°32'38.03"N 24°32'26.29"N 24°32'16.91"N	75°45'47.37"E 75°45'41.65"E 75°45'35.79"E 75°45'29.22"E
3.	Legal status of the forest land (protected forest, reserved forests, revenue forest lands or any other forest land)	आरक्षित वनखण्ड मेनपिछोर के वन कक्ष क्रमांक आर-31,32,33			
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	सीमांकन का कार्य हो चुका है।			
5.	Any signs of encroachment.	प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है।			
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	वनक्षेत्र में कोई वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।			
7.	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	प्रस्तावित वनक्षेत्र बिगड़े वनों का सुधार वन श्रेणी में होकर 0.3 से कम व BL1 की श्रेणी में होना पाया गया			
8.	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	प्रस्तावित वन क्षेत्र में कोई दुर्लभ प्रजाति के वन्यप्राणी नहीं हैं। मात्र लोमड़ी, सियार, नीलगाय, लकड़बग्घा, खरगोश देखे गये हैं।			
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	नहीं हैं।			
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the working Plan and, if not, why?	हाँ			
11.	Importance of the area from historical or religious point of view.	प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्मारक एवं धार्मिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं है।			
12.	Any dependent persons/ families on this land.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई व्यक्ति आश्रित नहीं है, ना ही कोई परिवार निवासरत है।			
13.	Any displacement of persons proposed.	ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।			
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	प्रस्तावित योजना में कोई पुर्नवास योजना नहीं है, जिसमें व्यक्तियों/परिवारों को व्यवस्थापित नहीं किया जाना है।			
15.	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of area for CA. If in the degraded forest land than what is the current Working plan prescription for the	आवश्यक नहीं है।			

	area Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	
16.	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 kms.	प्रस्तावित वनक्षेत्र किसी भी वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं हैं एवं प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र गांधीसागर अभयारण्य क्षेत्र से 10 कि०मी० परिधी के बाहर स्थित हैं। जिसकी अभयारण्य गांधीसागर से हवाई दूरी लगभग 10.87 कि.मी. है।
17.	Dependence of trials in the area. Whether the rights of the trials have been recognized in this area.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में आस-पास के ग्रामीण आदिवासियों की निर्भरता हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कोई भी वन अधिकार पत्र वितरित नहीं किये गये एवं ना ही कोई वन अधिकार पत्र दावा लंबित है।
18.	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	प्रस्तावित मार्ग निर्माण से ग्राम कातना एवं भानपुरा में रहने वाले ग्रामीणों को सुगम आवागमन एवं परिवहन की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही दोनो ग्राम आपस में जुड़ सकेंगे।
19.	In case of renewal whether all the condition stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	आवश्यक नहीं हैं।
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific project.	आवेदक संस्था से प्राप्त प्रमाण-पत्र अनुसार प्रस्तावित मार्ग निर्माण की लाईन सही हैं और भविष्य में परिवर्तन नहीं की जावेगी। वांछित वनक्षेत्र न्यूनतम हैं एवं तकनीकी दृष्टी से अन्य कोई विकल्प अथवा क्षेत्र उपलब्ध नहीं हैं। निर्माण कार्य में 1.2 कि०मी० लंबाई एवं 6 मी० चौड़ाई मार्ग का निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोग किया जावेगा।
21.	A certificate of user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	—
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for while the forest land is being diverted is also not adversely affected.	कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं होने से वनक्षेत्र पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता हैं।
23.	Any other issue of significance.	—
24.	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	प्रस्तावित मार्ग निर्माण ग्राम कातना से बिजोलियामाता तक में प्रभावित 0.72 हे० वन क्षेत्र प्रचलित कार्य आयोजना में बिगडे वन क्षेत्र कार्यवृत्त में शामिल हैं साथ ही उक्त क्षेत्र BL1 श्रेणी का होकर 0.3 से कम धनत्व का वन क्षेत्र होने से तथा कार्य में किसी भी वृक्ष को काटा नहीं जाने से एवं साथ ही ग्राम कातना एवं भानपुरा में रहने वाले ग्रामीणों को सुगम आवागमन एवं परिवहन की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही दोनो ग्राम आपस में जुड़ सकेंगे। उक्त को दृष्टीगत रखते हुवे मार्ग निर्माण की अनुशंसा जारी की जाती हैं।

Place : Mandsaur
Date : 15.07.2021


Divisional Forest Officer
Mandsaur (Territorial) (M.P.)